[राज्य सभा द्वारा 30 जुलाई, 2021 को पारित रूप में]

2021 का विधेयक संख्यांक 26-सी

[दि कोकोनट डेवलेपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021

नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— 1979 का 5

'(ख) "अध्यक्ष" से धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड का गैर कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(खक) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ;'।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) में,—

(अ) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) गैर कार्यपालक अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ;

(कक) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ;

(कख) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, भारसाधक उद्यान कृषि एकीकृत विकास मिशन, पदेन ;";

(आ) खंड (च) के उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) उपभोक्ता मामले ;";

(इ) खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(छ) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्यों में से एक-एक सदस्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ऐसे राज्य जहां बड़े पैमाने पर नारियल का उत्पादन किया जाता है, की सरकारों का प्रतिनिधित्व करेगा ;

(ज) केंद्रीय सरकार द्वारा वर्णानुक्रम में चक्रानुक्रम द्वारा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल राज्यों और अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्य ;

(झ) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य, दो केरल राज्य के नारियल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और एक-एक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के नारियल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ;";

धारा 5 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5. बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य, ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किए जाएं । अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते ।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 में,— धारा 7 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) बोर्ड का भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(1क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(1ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।"

(ख) उपधारा (2) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में, "अध्यक्ष" शब्द के पश्चात्, "या मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (5) में, "मुख्य नारियल विकास अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य नारियल विकास अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (7) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में,— धारा 10 का संशोधन ।

(क) खंड (ख) में, "भारत में" शब्दों के स्थान पर, "भारत में या भारत से बाहर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (झ) में, "बड़े पैमाने पर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

7. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :— धारा 19 का संशोधन ।

"(घ) धारा 7 की उपधारा (1क) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्तव्य ;

(घक) धारा 7 की उपधारा (1ख) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;"।

MGIPMRND—528RS(CRC)—30.7.2021.